न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान रामसिंह बनाम मुन्नी आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 403 सन 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
06.12.2022	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। केवियट प्रार्थना–पत्र पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। केवियटकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया। नकल अपीलाण्ट के अधिवक्ता को दिलाई गई। उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय में प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.11.2022 को पेश हुआ। उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया था जिसमें किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट नही मंगवाई गई की रास्ता चालू है अथवा नही। परन्तु विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। मौका पर कोई रास्ता चालू नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जिसे निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट/केवियटकर्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर आ चुका है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही न कर गैर कानूनी तरीके से चालू रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की गरज से अपील पेश की है। प्रश्नगत रास्ता रेस्पोडेण्ट की ढाणी तक जाता है जिसमें निर्बाध रूप से रेस्पोडेण्ट आवागमन करता है। पटवार हल्का बशीर से मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2022 मंगवाई गई है जिमसें प्रश्नगत रकबा 207/236 के किला नं. 5, 6 15, 16, 25 में मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रास्ता चक वासियों द्वारा उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता को कारित करने की फिराक में है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 07.11.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया है। प्रश्नगत आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय पारित किया है। अपीलाण्ट को चाहिए था कि वह अपने कथन अधीनस्थ न्यायालय में करता तथा अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आता है तो अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–का निस्तारण करना चाहिए। प्रकरण की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का 2 माह में निस्तारण करे।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 251 –क में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का 2 माह में निस्तारण करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को लिखाया जाकर सुना गया।

6/12/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़